छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | द्वादश सत्र | अंक-08

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2013

(फाल्गुन-7, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1.प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03 एवं 06 से 12 (कुल 10) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 04 एवं 05 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः श्री बैदूराम कश्यप एवं श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 27 तारांकित एवं 45 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. पृच्छा

महात्मा गांधी को ब्रेवरेज कार्पोरेशन के शराब बंदी अभियान का ब्रांड एम्बेसेडर बनाये जाने संबंधी स्थगन

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने महात्मा गांधी को कार्पोरेशन के शराब बंदी अभियान का ब्रांड एम्बेसेडर बनाये जाने संबंधी प्रतिपक्ष द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि आज सामान्य बजट पर चर्चा है, उसमें चर्चा के लिए पूरा समय है। यह स्थगन का विषय नहीं है।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री ने -

(1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक - 709/एफ-2(4)/2012/48/सं.का., दिनांक 11 दिसम्बर, 2012, तथा

(2) छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक - 789/एफ-2(4)/2012/48/सं.का., दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 **पटल पर रखे।**

4. पृच्छा

महात्मा गांधी को ब्रेवरेज कार्पोरेशन के शराब बंदी अभियान का ब्रांड एम्बेसेडर बनाये जाने संबंधी स्थगन

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की पुनः मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यक्त किया कि यह बजट सत्र है, जब बजट पर चर्चा प्रारंभ नहीं हुई थी उस समय आपका स्थगन लिया। जब चर्चा करने के लिये पर्याप्त अवसर न हों वहां सारी बातों पर विचार करना चाहिए। अभी आपके पास चर्चा करने के लिए पर्याप्त अवसर हैं। सामान्य बजट पर चर्चा में सारी बातों का उल्लेख करें।

यह स्थगन का विषय नहीं है। इसे अग्राह्य कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना पढ़े जाने हेतु श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष का नाम पुकारा गया।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.06 बजे स्थगित की जाकर 12.12 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की पुनः मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य कर दिया गया है। स्थगन प्रस्ताव की गंभीरता सभी सदस्यों को मालूम है। जब बात रखने का कोई अवसर न हो तो सारे विषयों को रोक कर चर्चा कराई जाती है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और यह स्थगन का विषय भी नहीं है। माननीय सदस्य कार्यवाही आगे चलाने में सहयोग करें।

(निरंतर व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.15 बजे स्थगित की जाकर 12.33 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

5. बहिर्गमन

श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन से सो-मोटो वक्तव्य न आने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री नंद कुमार पटेल (अनुपस्थित), रविन्द्र चौबे, सदस्य द्वारा जनशताब्दी एक्सप्रेस को अपराधी तत्वों द्वारा हाईजेक कर फरार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

8. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री भजन सिंह निरंकारी, ताम्रध्वज साहू, सदस्य द्वारा दुर्ग जिले के भिलाई तालपुरी इंटरनेशनल कालोनी में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवासीय भवन निर्माण

कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

9. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

(1) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मासाभाट निकुम सड़क अत्यंत जर्जर होने, तथा

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने मीटर रीडरों द्वारा प्रतिमाह विद्युत बिल में अनियमितता किये जाने **संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।**

10.वर्ष 2013-2014 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री टी.एस.सिंहदेव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की। (जारी)

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री देवजी पटेल, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, डॉ.शक्राजीत नायक,

माननीय सभापति ने सूचित किया कि आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए 26 एवं 27 फरवरी, 2013 निर्धारित है। अभी नेता प्रतिपक्ष सहित 18 सदस्यों को चर्चा में हिस्सा लेना है तथा माननीय मुख्यमंत्री का उत्तर भी होना है। अतः आज सभा के समय में 6.30 बजे तक की वृद्धि की जाती है।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

सर्वश्री फूलचंद सिंह, भजन सिंह निरंकारी, (डॉ.) कृष्णमूर्ति बांधी, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री रामजी भारती, डॉ. हरिदास भारद्वाज, (भाषण अपूर्ण)

सायं 6.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 27 फरवरी, 2013 (फाल्गुन, 8 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा